



मुद्रा

आदेश - पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-ता० से
 जिला सीकरा सं०- 9/11-17
 केस का प्रकार :- विधिपत्र

आदेश क्र०सं०/तिथि 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित 3
<p><u>25.10.17</u> <u>9-11-17</u></p>	<p>आवेदक राजेश्वर तृती एवं अन्य ग्राम व्यवस्था करवरा के द्वारा माफ आवेदन का नबुतरा नबुतरा के द्वारा उपस्थित करने के संबंध में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रमारी अंचल निरीक्षक के जॉय प्रतिवेदन के अनुसार मोजा करवरा थाना सं० 75 खाता सं० 47 ब्लॉक सं० 391 रकबा 0.03 एकड़ भूमि गैर-मजदूरी खास खातों की है, किल्ले पट्टी कदीम है। उक्त भूमि पर नबुतरा निर्माण हेतु अंचल कार्यालय के द्वारा सत्यापित किया गया है, परन्तु नबुतरा निर्माण की क्रम में जीलु प्रभों पिता स्व० विपत प्रभों, सुकायी देवी-पति जीलु प्रभों, देवकी देवी-पति देवी-चंद प्रभों, शंकर प्रभों पिता जीलु प्रभों, उर्मिला देवी-पति नैचंद प्रभों सभी मोजा करवरा के द्वारा सीक लगाया गया है। आपत्ति कारों के द्वारा जमीन संबंधी कागजात की मांग की गई है परन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार का कागजात नहीं दिया गया। उन्हीं संबंध में अंचल कार्यालय के द्वारा कागजात की मांग कार्य हेतु प्रतिवेदन किया है। उपर्युक्त सभी नाभीत व्यक्ति को नोटिस भिजाने करे। अभिलेख दिनांक 17-11-17 को उपलब्ध करे।</p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी सीकरा </p>	<p><u>17-11-17</u> <u>20-11-17</u></p> <p>अभिलेख उपलब्ध, प्रथम पत्र उपस्थित। द्वितीय पत्र नबुतरा-पत्र, अस्वास्थ्य के कारण वाद की कार्यवाई नहीं हुई। तीनों पत्रों को सुविधा करके हुए अभिलेख-दिनांक 24-11-17 को उपलब्ध करे।</p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी सीकरा </p>

24-11-17

अभिलेख उपस्थापित ।
 उभय पक्ष उपस्थित होकर आपस-आपस पत्र
 व्यवस्था द्वितीय पत्र के द्वारा करवाया गया कि मैं
 वर के हाथों मुकुट का निर्माण कराये जाने के कारण
 उन्हें ~~व्यक्ति~~ ही सेवा मार हो मुकुट निर्माण
 में आपसी गृही हो अंशुल-अमीन को निर्देश
 दिया गया कि हथक पद जाँच कर मुकुट
 निर्माण हेतु हथक निर्दिष्ट कर दें। इसके साथ ही
 वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखक पत्र एवं लेखापि

24/11/17
 अंशुल अमीन
 गवासे